संख्या : 29/2017/233/छप्पन-2017-2/2013

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2017

विषय: जनपद चित्रकूट स्थित देवांगना घाटी पर स्थित राजकीय हवाई पट्टी का विस्तारीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-691/ए0एफ0-105(बी)/2017, दिनांक 14.2.2017 एवं पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013, दिनांक 4.6.2015 व अनुवर्ती शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 14.2.2017 में किए गए प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 4.6.2015 द्वारा रूपये 9266.19 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 1188.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 1336.53 लाख अर्थात कुल मिलाकर रूपये 2524.53 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ चौबीस लाख तिरपन हजार मात्र) कार्यदायी संस्था राइट्स लिमिटेड को अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग कार्यदायी संस्था द्वारा कर लिया गया है। अब तृतीय किश्त के रूप में रूपये 24,26,12,370/- का भुगतान कार्यदायी संस्था को किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण सम्बन्धी कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त के रूप में रूपये 24,26,12,370/- (रूपये चौबीस करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार तीन सौ सत्तर मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013, दिनांक 4.6.2015 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के पूँजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 29/2017/233(1)/छप्पन-2017- तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- महाप्रबन्धक, राइट्स लिमिटेड, (एयरपोर्ट डिवीजन) गुड़गाँव, हरियाणा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल/बजट सहायक।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in